सामाजिक सुरक्षा अभी

23 फरवरी, 2010

सेवा में,

जिलाधिकारी

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

महोदय/महोदया,

विषय- सामाजिक सुरक्षा अभी (एसएसएन) द्वारा अलक्ष्य, सार्वभौमिक, भेदभाव रहित सामाजिक सुरक्षा के मद में कुल जीडीपी के 5% धन के आवंटन की माँग करते हुए ज्ञापन ।

हम लोग 'सामाजिक सुरक्षा अभी' जो कि भारत में रहने और काम करने वाले सभी नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के अधिकार की माँग करने वाला एक राष्ट्रीय अभियान है, का प्रतिनिधित्व करते हैं। देशभर के 500 से अधिक संगठन,जिसमें मजदूर संगठन, नागरिक समाज के संगठन, किसान संगठन शामिल हैं इस अभियान के सक्रिय सदस्य हैं।

इस ज्ञापन के माध्यम से हम आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि केन्द्र और राज्य सरकारों के बड़े-बड़े दावों के बावजूद भारत में रहने और काम करने वाले 90% से भी ज्यादा लोग अभी भी सामाजिक सुरक्षा के लाभों से वंचित हैं। हम इस तथ्य पर अपनी निराशा व्यक्त करते हैं कि देश के आर्थिक विकास के बावजूद जो लोग राष्ट्रीय आय में अपना योगदान देते हैं, उन्हे योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक और आर्थिक न्याय से वंचित किया जा रहा है।

यद्यपि यूपीए सरकार ने दिसंबर 2008 को 'असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम' पारित किया, सरकार 42 करोड़ असंगठित मजदूरों को वायदे के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा का हक देने में विफल रही। इस अधिनियम में न तो श्रम मामलों की स्थायी संसदीय समिती की सिफारिशों को शामिल किया गया और न ही इस पर आम लोगो के बीच व्यापक चर्चा हुई। संसद सत्र के अंतिम दिन इस अधिनियम को हड़बड़ी में पारित करवा दिया गया।

एसएसएन राष्ट्रीय सचिवालयः 173-ए खिडकी गाँव, मालवीय नगर नई दिल्ली-110017 फोनः 91-11-29541841/29541858/29542473
फैक्स : 91-11-29545442; वेबसाइट : www.socialsecuritynow.org; www.cec-india.org

2009-10 के बजट आँकड़े स्पष्ट संकेत करते हैं कि असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के मद में सरकार का एकमात्र खर्च राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रूपए का आवंटन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो सिर्फ 1.2 करोड़ बीपीएल परिवारों को लक्ष्य करती है और इसमें भी सरकार ने विश्व बैंक की भूमिका को स्पष्ट नहीं किया है जिसका नाम इस योजना के दस्तावेजों में लगातार आ रहा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसी स्थिति मे जब एनएसएसओ 2004-05 के मुताबिक देश के लगभग 93% श्रमिक असंगठित मजदूरों की श्रेणी में आते हैं, सरकार का उपर्युक्त कदम बिल्कुल अपर्याप्त है। भारत में रहने और काम करने वाले सभी लोगों तक सामाजिक सुरक्षा लाभोंका विस्तार, भूख से मुक्ति और देश में उत्पन्न संपदा का समान रूप से वितरण भारत सरकार के समक्ष उपस्थित बड़ी चुनौतियों में से एक है।

इस संदर्भ में, हम (सामाजिक सुरक्षा अभी (एसएसएन), के प्रतिनिधि) यह माँग करते हैं कि :

- राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक अलक्ष्य, सार्वभौमिक और भेदभावरहित सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उन लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए जो अब तक इससे वंचित हैं।
- सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य को कुल जीडीपी का 5% धन इस मद में आवंटित करना चाहिए क्योंकि भारत मे रहने और काम करने वाले सभी नागरिकों का भारत में उत्पादित संपदा पर अधिकार है।
- यूडब्ल्यूएसएसए 2008 में सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा में बदलाव समेत अनेक व्यापक संशोधनों की तत्काल आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा लाभों को अधिनियम के मूल भाग में शामिल किया जाए तथा रोजगार के स्तर व प्रकृति, वेतन, लिंग, जाति व नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए भारत में रहने और काम करने वाले सभी नागरिकों तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया जाए। इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे की व्यवस्था की जाए तथा एक 'सामाजिक सुरक्षा निधि' की स्थापना की जाए।
- सामाजिक सुरक्षा अभी के अन्तर्गत अन्य मुद्दों के अलावा दलितों के सामाजिक समावेश, आदिवासियों के विस्थापन पर रोक, दलितों और आदिवासियों के आवास अधिकार, महिलाओं के अभुक्त श्रम की पहचान, महिलाओं के भूमि अधिकार और प्रवासियों की असुरक्षा जैसे मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

एसएसएन राष्ट्रीय सचिवालयः 173-ए खिडकी गाँव, मालवीय नगर नई दिल्ली-110017 फोनः 91-11-29541841/29541858/29542473
फैक्स : 91-11-29545442; वेबसाइट : www.socialsecuritynow.org; www.cec-india.org